प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 जुलाई, 2025

एफआरबीएम अधिनियम पर सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश की गई

वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 आज संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई । राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2004 में लागू किया गया था। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 में सीएजी द्वारा अधिनियम के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा निर्धारित की गई है, और वर्तमान प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए निकाले गए निष्कर्षों पर चर्चा करता है।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम रूपरेखा के अनुसार, केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन *प्रतिशत* तक सीमित रखना होगा और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 *प्रतिशत* और केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 *प्रतिशत* तक सीमित करने का प्रयास करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के माध्यम से सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 *प्रतिशत* से कम राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग का अनुसरण करने की प्रतिबद्धता जताई है, एक प्रतिबद्धता जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के एमटीएफपी विवरणों में भी दोहराया गया था। (पैरा 1.1)

2018 - 2023 तक पांच साल की अवधि के विश्लेषण से पता चला है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 61.38 *प्रतिशत* तक बढ़ा, फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक लगातार घटकर 57.93 *प्रतिशत* हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में केंद्र सरकार के ऋण में ₹17.48 लाख करोड़ या 12.61 *प्रतिशत* की कुल वृद्धि मुख्य रूप

से आंतरिक ऋण में ₹16.12 लाख करोड़ की वृद्धि, बाहरी ऋण के मौजूदा मूल्य में ₹0.90 लाख करोड़ की वृद्धि और 2022-23 के दौरान लोक लेखा देनदारी में ₹0.13 लाख करोड़ की निवल वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्र सरकार के ऋण और सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच केन्द्र सरकार के ऋण के संचय की गति जीडीपी विस्तार से कम थी। (पैरा 2.1.1)

ऋण स्थिरता, जैसा कि ऋण स्थिरता संकेतक द्वारा मापा जाता है, 2022-23 में सकारात्मक थी जो स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेतक है। ऋण स्थिरता विश्लेषण से पता चला है कि ऋण-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 49.34 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 61.38 *प्रतिशत* के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया । हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह अनुपात जीडीपी के 58.76 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 57.93 *प्रतिशत* रह गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक ऋण अदायगी, लोक ऋण प्राप्तियों का 89.75 *प्रतिशत* थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें सुधार हुआ और चुकाया गया ऋण वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण का 81.22 *प्रतिशत* था, जिससे देनदारियाँ कम हुईं और सकारात्मक व्यय हुआ।

राजस्व प्राप्तियों के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात सरकार के राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा उसके ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में उपयोग किया जाता है। यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38.66 *प्रतिशत* के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 33.99 *प्रतिशत* हो गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35.35 *प्रतिशत* हो गया। (पैरा 2.3)

एफआरबीएम रूपरेखा में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि (सीएफआई) की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में जीडीपी के आधे *प्रतिशत* से अधिक की अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त गारंटी जीडीपी के आधे *प्रतिशत* के निर्धारित लक्ष्य के भीतर ही रही है । (पैरा 2.4)

राजकोषीय घाटे)□ 25-2024 (बीएजी) के लिए बजट एक नज़र (लाख करोड़ 17.38के आंकड़े यूजीएफए से एफआरबीएम अधिनियम 23-2022, के अनुसार गणना किए 2003) गए आंकड़ों□से भिन्न थे। (लाख करोड़ 17.56
(पैरा 2.6)

प्रतिवेदन में यह भी खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में करों के रूप में □21.30 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई, लेकिन अभी तक वसूल नहीं की गई (विवरण डी1: कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया)। इस वसूल न की गई राशि में विगत वर्ष की तुलना में □5.47 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें से □5.28 लाख करोड़ अविवादित थे। डी2 विवरण (बकाया ब्याज) में कुछ पारदर्शिता के मुद्दे देखे गए, जहां आंकड़े संघ सरकार के वित्त लेखों के आंकड़ों से भिन्न थे। साथ ही, डी4 विवरण में बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण) की राशि, प्राप्ति बजट में अलग- अलग थे। अंत में, वार्षिक वित्तीय विवरण एच1) से अर्धवार्षिक विवरण 23-2022, एच (2और मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के बजट अनुमान आंकड़ों में भी कुछ भिन्नताएं पाई गईं।
(पैरा 3.1.1;3.1.2;3.2)

□□□/□□/30-25